

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्,
झाजरा, देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुबागः

देहरादून: दिनांक: १४ दिसम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13455/वि०प्र००७०/सचि०/2017-18 दिनांक 19.09.2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 के क्रम में अनुदान संख्या-23-लेखाशीर्षक 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान-60-अन्य-004-अनुसंधान तथा विकास-01 केन्द्रीय द्वारा पुरानिधानित योजना-07-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायता-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रु० 400.00 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अवशेष ₹266.67 लाख (₹Two Crore Sixty Six Lakh Sixty seven Thousand Only) निम्नमदानुसार एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	मद	धनराशि राशि (लाख में)
1.	शोध अनुसंधान एवं विकास	32.00
2.	विज्ञान एवं लोकव्यापीकरण	55.00
3.	उद्यमिता विकास/अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं एवं अन्य कमज़ोर वर्ग के उत्थान हेतु कार्यक्रम	14.00
4.	हिमालयन सिस्टम साइंस	10.00
5.	बौद्धिक साम्पदा अधिकार केन्द्र की स्थापना	8.00
6.	तकनीकी संसाधन केन्द्र की स्थापना	6.00
7.	तकनीकी का हस्तान्तरण	4.00
8.	निदेशन एवं प्रशासन	132.67
9.	परिसर रख-रखाव	5.00
योग		266.67

- उक्त धनराशि का व्यय करते समय विभाग के शासनादेश संख्या-610/3/(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में निहित प्रावधानों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधियान के अनुसार सक्षम प्राधिकारी का व्यय प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों, व्यवस्थाओं एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। मितव्ययता के सम्बन्ध में निर्गत संगत शासनादेशों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- संस्था द्वारा यदि किसी योजना/योजनाओं में धनराशि पी०एल०ए० खाते में जमा की गई है तो सर्वप्रथम उक्त अवशेष धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाय, तदोपरान्त ही अवमुक्त की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाय। अवमुक्त की जा रही धनराशि उक्त मद में ही नियमानुसार व्यय की जाय। किसी मद में धनराशि परिवर्तन का अधिकार संस्था को नहीं होगा, यदि किसी मद में धनराशि परिवर्तित/स्थानान्तरण किये जाने की आवश्यकता हो, तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी/शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जाय। सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय तथा न ही अधिक व्ययभार सृजित किया जाय। यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उक्त कृत्य को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा जिसके लिए

क्रमशः-2

- सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।
3. उपरोक्त उल्लिखित मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने से पूर्व जिन कार्यों/मदों/योजना में धनराशि व्यय की जानी हो, उन कार्यों/मदों/योजना में कार्य की अवधि, नियोजित कार्मिक, कार्य की अनुमानित लागत, औचित्य, कुल एवं चालू वित्तीय वर्ष में कार्य के निर्धारित लक्ष्य इत्यादि पक्षों पर सम्यक माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/समिति का अनुमोदन प्राप्त किये जाने उपरान्त ही कार्यों/मदों/योजना में व्यय सुनिश्चित किया जाय। योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी/समिति के अनुमोदन से पूर्व व्यय कदापि न किया जाय।
 4. वचनबद्ध मदों तथा वेतन, मंहगाई भत्ता इत्यादि में व्यय स्वीकृत ढांचे के अनुसार नियमानुसार नियुक्त कार्मिकों के सापेक्ष ही किया जाय। यदि संस्था के अन्तर्गत स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त, कार्मिक किसी भी माध्यम से योजित हों अथवा नियोजित किये जाने की आवश्यकता हो तो उन कार्मिकों के सम्बन्ध में विभिन्न भारित व्ययों का भुगतान संस्था की स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष ही वहन किया जाय। उक्त का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 5. बी0एम0—8 पर सम्बन्धित मदवार विवरण सहित संकलित मासिक सूचनायें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। माह में किये गये कार्यों का प्रमाण—पत्र/विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए एवं वर्षान्त पर सम्पूर्ण आवेदित धनराशि का व्यय विवरण व उपयोगिता/प्रमाण—पत्र तथा किये गये कार्यों एवं वार्षिक प्रगति विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और महालेखाकार से समय—समय पर आंकड़ों का मिलान सुनिश्चित किया जाए।
 6. स्वीकृत धनराशि के बिल जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित कराने के उपरान्त कोषागार से आहरित किये जाय, तथा प्राप्त धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक करते हुए प्रत्येक माह का बी0एम0—13 शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
 7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय—व्ययक के आयोजनागत मद में अनुदान संख्या—23—लेखाशीर्षक 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान—60—अन्य—004—अनुसंधान तथा विकास—01 केन्द्रीय द्वारा पुरोनिधानित योजना—07—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
 8. उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग(अनुमाग—5), उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या—186मतदेय/XXVII(5)D18 दिनांक 14.12.2017 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक—अलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,


(रविनाथ रामन)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या—534(1)/XXXVIII/2017—24/2017तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(कविन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।